प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.05.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत अवैध मादक पदार्थ के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 03.05.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजा के साथ 02 अभियुक्त 1.जाविद पुत्र हनीफ निवासी इकराम नगर थाना लोनी गाजियाबाद मूल पता कस्बा थाना भवन जिला शामली 2.फुरकान पुत्र जमशेद निवासी गिरजाघर दौलतनगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 02 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दिल्ली से गांजा खरीद कर लाते है और मुनाफा कमाने के लिये आस पास के क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों को गांजा की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बेच देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1.जाविद पुत्र हनीफ निवासी इकराम नगर थाना लोनी गाजियाबाद मूल पता कस्बा थाना भवन जिला शामली उम्र करीब 24 वर्ष।

2.फुरकान पुत्र जमशेद निवासी गिरजाघर दौलतनगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

02 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा (मसकट) 12 बोर बरामद ।

दिनांक 03.05.2026 को थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त उज्ज्वल त्यागी पुत्र मनोज त्यागी निवासी ग्राम सारा थाना निवाड़ी गाजियाबाद को सारा रोड शमशान के पास से थाना क्षेत्र निवाड़ी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा (मसकट) 12 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना निवाड़ी पर पर तत्काल सुसंगत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने यह अवैध तमंचा लोगों में रौब जमाने और शौक के लिये कुछ समय पहले राह चलते किसी अनजान व्यक्ति से लिया था तथा इस तमंचे के साथ मैंने वीडियो बनायी थी जो गांव के कुछ लोगों ने देख ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

उज्ज्वल त्यागी पुत्र मनोज त्यागी निवासी ग्राम सारा थाना निवाड़ी उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

01 अवैध देशी तमंचा (मसकट) 12 बोर।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना निवाड़ी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना निवाड़ी पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 02.05.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1- सहरयाब पुत्र फरियाद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष 2- समीर पुत्र जमील निवासी- इंद्रापुरी-02 नम्बर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में लोनी क्षेत्र से चोरी करना बताया। उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मसूरी पर सुसंगत धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल हम दोनों ने कुछ दिन पहले थाना लोनी क्षेत्र से चोरी की थी जिसे हम बेचने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1.सहरयाब पुत्र फरियाद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

2.समीर पुत्र जमील निवासी- इंद्रापुरी-02 नम्बर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

ग्रामीण जोन पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा सार्वजनिक स्थानों/ठेकों के बाहर/सड़क पर खुले में शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेशानुसार कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ग्रामीण जोन के समस्त थाना क्षेत्रों में दिनांक 02.05.2026 को शाम 06:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक शराब ठेकों के आसपास व सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थानों पर एवं सड़क पर खुले में शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का एक सघन अभियान चलाया गया।

अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण जोन में **कुल 58 स्थानों पर 918 व्यक्तियों को चेक किया गया**। जिनके द्वारा सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन किया जा रहा था, जिससे वहां आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, ऐसे **317** व्यक्तियों के विरूद्ध धारा **34 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही अमल में लाई गयी** । इस अभियान में ग्रामीण जोन के सभी सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गयी।

अभियान के अन्तर्गत थानावार कार्यवाही की स्थिति निम्नवत रही –

क्र.सं.	थाना नाम	चेक किये गये स्थानों की संख्या	चेक किये गये व्यक्तियों की संख्या	हिरासत में लिये गये व्यक्तियों की संख्या	कृत कार्यवाही का विवरण	
					170/126/135 बीएनएसएस	34 पुलिस एक्ट चालान
1.	मसूरी	04	90	23	00	23
2.	मुरादनगर	09	112	04	00	73

3. मोदीनगर	07	93	00	00	43
4. भोजपुर	06	86	00	00	16
5. निवाडी	06	121	00	00	15
6. लोनी	06	60	00	00	18
7. ट्रोनिका सिटी	10	180	00	00	60
8. अंकुर विहार	04	86	00	00	40
9. लोनी बॉर्डर	06	90	00	00	29
कुल	**58**	**918**	**27**	**00**	**317**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा संचालित यह संघन अभियान कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सार्वजनिक स्थलों पर अनुशासन बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी ऐसे अभियान निरंतर चलाए जाते रहेंगे, ताकि गाजियाबाद को एक सुरक्षित और अनुशासित शहर के रूप में स्थापित किया जा सके।